न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क्रम–2, (विशिष्ठ न्यायालय) जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण **बनाम** **राजेन्द्र प्रसाद**

प्रकरण संख्या :– **88 / 2026**

सी.आई.एस नम्बर :– **126 / 2026**

अपराध अन्तर्गत धारा **31(1), 32(7) एवं 33(2)**
जे.डी.ए. एक्ट 1982 (संशोधित अधिनियम, 2010)

दिनांकः– 18.06.2026

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री यादराम मौर्य ने वकालतनामा पेश किया, जो शामील पत्रावली रहे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया अग्रिम कार्यवाही के पर्याप्त आधार पाये जाते है। अतः अभियुक्त **राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री मालीराम निवासी 5, इन्द्रा कॉलोनी, गली नं. 10, राम जनरल स्टोर के पास, गंगानगर, राजस्थान। (निर्माण स्थल– दुकान नं. 55 व 56, जनकपुरी, हाथोज, जयपुर)** के विरूद्ध धारा 31(1), 32(7) एवं 33(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (संशोधित अधिनियम, 2010) के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण नियमित आपराधिक के रूप में दर्ज हो।

अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) की धारा 31(1), 32(7) एवं 33(2) के आरोप की विशिष्टियॉ पृथक से विरचित कर सुनायी व समझायी गयी तो अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद ने आरोप को स्वीकार किया तथा पृथक से भी जुर्मस्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप स्वीकार कर प्रकरण के निस्तारण की प्रार्थना की।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति की है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को सही होना स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 31(1), 32(7) एवं 33(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है।

परिणामतः अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद को धारा 31(1), 32(7) एवं 33(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया जाकर अभियुक्त को जविप्रा अधिनियम की धारा 31(1) में 25,000/– रूपये अर्थदण्ड, जविप्रा अधिनियम की धारा 32(7) में 25,000/– रूपये अर्थदण्ड तथा जविप्रा अधिनियम की धारा 33(2) में 30,000/– रूपये अर्थदण्ड, इस प्रकार अभियुक्त को कुल 80,000/– रूपये (अक्षरे अस्सी हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त प्रत्येक धारा में 07–07 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

आदेश आज दिनांक 18.06.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मोनिका खीचड़)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2
(विशिष्ठ न्यायालय) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अभियुक्त ने कुल जुर्माना राशि 80,000/–रूपये (अक्षरे अस्सी हजार रूपये मात्र) अदा किये। रसीद संख्या **45/92** दी। जुर्माना राशि जेडीए कोष में जमा करायी जावे। अभियुक्त ने अन्तर्गत धारा 437(ए) के 10,000/– रूपये के जमानत मुचलके आदेशानुसार पेश किये, जो बाद जाँच न्यायालय तस्दीक किये गये। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(मोनिका खीचड़)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2
(विशिष्ठ न्यायालय) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर